न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A 20

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 797/2016

1. सन्तकुमार पुत्र श्री निक्कूराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शान्तिदेवी पत्नी अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बनवारीलाल पुत्र अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती गीतादेवी पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी सक्ताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. ओम प्रकाश पुत्र श्री अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमती कलावती पत्नी धनराज जाति बिश्नोई निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. मदनलाल पुत्र श्री अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. इन्द्रजीत पुत्र श्री अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. विमलादेवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी सक्ताखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
11. आत्माराम पुत्र अमीलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. भागण पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. निर्मल कुमार पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. शारदा पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. रामजीलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
16. सोमा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी खोडवास (हरियाणा)।
17. द्वारका देवी पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी रातवसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
18. अंजली पुत्री श्री दुलीचन्द जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19. प्रवीण कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

20. रूपेश कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21. श्याम सुन्दर पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
22. राजेन्द्र पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
23. रामेश्वरी पत्नी रामफुल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
24. माया देवी पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी घमंडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
25. शिवला पुत्री रामफुल जाति बिश्नोई निवासी गुमजाल तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
26. परमानन्द पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
27. द्वारका पुत्री श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी गुमजाल तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
28. निर्मला पत्नी श्री सुशील जाति बिश्नोई निवासी चुन्नीवाली ढ़ाणी तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
29. नरसी पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
30. मनसुख पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
31. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
32. अशोक कुमार पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
33. संगीता पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
34. ओम प्रकाश पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
35. किशन पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
36. इन्द्रा पुत्री श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
37. विनोद पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
38. मुकेश पुत्र श्री रामफूल जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
39. विद्या पत्नी श्री श्योकरण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
40. सुभाष पुत्र श्री श्योकरण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

41. कमला पुत्री श्री श्योकरण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
42. सुमित्रा पुत्री श्री श्योकरण जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

A20/3

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री बी. एस. स्वामी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज

— :: निर्णय ::— दिनांक :— 27-10-16

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.07.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 3 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 5 में उत्तर दिशा में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 में मुरब्बा नम्बर 25 में जानें के लिये रास्ता पुरानें अरसा से चलता आ रहा है, जिसको प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसके लिये भूमि मालिक द्वारा लिखित में सहमति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार गांव कालूवाला व चक 3 एल.एन.पी. के बीच में चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 व चक 3 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 में जब से गांव बसा है, तब से रास्ता चलता है। जो मौके पर चल रहा है। प्रार्थीगण मौके पर पुरानें अरसा से चलते आ रहे 12 फुट रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है।

रामकुमार पुत्र मनीराम, जयचन्द पुत्र रामस्वरूप, सुभाष पुत्र रामरख, आत्माराम पुत्र अमीलाल, औमप्रकाश पुत्र धोंकलराम, रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज, रामीदेवी पत्नी भागचन्द, जगदीश पुत्र सुरजाराम, रामजीलाल पुत्र हनुमान, नरसीराम पुत्र रामफुल, सुभाष पुत्र शोकरण, कृष्ण पुत्र रामप्रताप, इन्द्रजीत पुत्र रामस्वरूप, सोमदत्त पुत्र रामरख, सुशील पुत्र कृष्णचन्द द्वारा द्वारा समर्पण—पत्र पेश किया जिसके के अन्तर्गत कथन किया गया कि हम चक 1 एम. एल. कालूवाला के निवासी है। हम अपनी एकल/संयुक्त खाता में मे से कब्जा काश्त की भूमि का सर्मपण बिना किसी दबाब के करना चाहते है। समर्पित की जा रही भूमि पर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज है। भूमि के सम्बंध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। रकबा रहन बैय नहीं है। समर्पित की जा रही भूमि का नामान्तरकरण गैर मुमकिन रास्ता के रूप में किया जाकर हमारी खातेदारी में से कम किया जाता है, तो हमें कोई एतराज नहीं है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 1428 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही भिजवाई गई जिसके अनुसार मुताबिक जमाबन्दी सम्बंधित रास्ता की भूमि की स्थिति निम्नानुसार पाई गई :–

क्र. सं.	नाम चक	खाता संख्या	खातेदार का प्रकार	खाते का योग	खातेदार का नाम व हिस्सा	समर्पित की जा रही भूमि का विवरण		
						मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	रकबा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	3 एल.एन.पी.	29	एकल	2.593	रामकुमार पुत्र मनीराम 2.593	34	21	0.018
						35	25	0.001
2.	3 एल.एन.पी.	10	संयुक्त	4.998	जयचन्द, इन्द्रजीत पि. रामस्वरूप 2.497	34	22	0.018
							23	0.018
3.	3 एल.एन.पी.	10	संयुक्त	4.998	सुभाष पुत्र रामरख 0.166	34	24	0.018
4.	3 एल.एन.पी.	10	संयुक्त	4.998	आत्माराम पुत्र अमीलाल 0.358	34	25	0.018
5.	3 एल.एन.पी.	8	संयुक्त	2.466	औमप्रकाश पुत्र धौकलराम 0.822	35	4	0.018
							7	0.018
							14	0.009
6.	3 एल.एन.पी.	8	संयुक्त	2.530	रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज 1.391	35	14	0.009
							17	0.018
							24	0.018
7.	1 एम.एल.	50	संयुक्त	1.049	रामीदेवी पत्नी भागचन्द 1.005	9	1	0.018
							2	0.018
							3	0.018
							4	0.006
8.	1 एम.एल.	30	एकल	1.314	जगदीश पुत्र सुरजाराम	9	4	0.013
							5	0.018
9.	1 एम.एल.	65	संयुक्त	7.084	हनुमान (मृतक) पुत्र गणेशाम 0.767	10	5	0.018
10.	1 एम.एल.	65	संयुक्त	7.084	नरसी पुत्र रामफुल 0.197	10	6	0.018
							15	0.018
11.	1 एम.एल.	65	संयुक्त	7.084	अमीलाल (मृतक) पुत्र गणेशाराम 0.767	10	16	0.018
12.	1 एम.एल.	65	संयुक्त	7.084	शोकरण (मृतक) पुत्र गणेशाराम 0.767	10	25	0.018
13.	1 एम.एल.	14	एकल	1.566	कृष्ण पुत्र रामप्रताप	9	21	0.001
14.	1 एम.एल.	26	संयुक्त	7.086	इन्द्रजीत पुत्र रामस्वरूप 1.770	24	1	0.018
							10	0.006
15.	1 एम.एल.	26	संयुक्त	7.086	जयचन्द पुत्र रामस्वरूप 1.770	24	10	0.012
							11	0.018
16.	1 एम.एल.	26	संयुक्त	7.086	सोमदत्त पुत्र रामरख 0.619	24	20	0.018
17.	1 एम.एल.	26	संयुक्त	7.086	सुशील पुत्र कृष्ण चन्द 0.034	24	21	0.018

A20/5

क्रम संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 15 का रकबा रहन है। तथा क्रम संख्या 1, 8, 13 के अलावा भूमि संयुक्त खाता की है। जिसमें अन्य सहखातेदारी की सहमती आवश्यक है।

मौका स्थिती अनुसार चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 तथा चक 3 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 25 में 12 चक 3 एल.एन.पी. मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 25 में 0.001 (कोना) मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 में 0.001 (कोना) चक एम.एल. मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 21 का 0.001 में रास्ता आज दिनांक को चालू पाया गया।

प्रार्थीगण की और से श्री बी.एम. स्वामी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया जाकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 1 एम.एल. कालूवाला के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी दिशा में रास्ता जो कि पूर्व में चल रहा है, उसे मन्जूर करवानें के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि में संयुक्त खातेदारान है, तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ता की अपनी कृषि भूमि में आनें जानें की आवश्यक्ता रहती है, इसलिये उक्त रास्ता मन्जूर किया जाना आवश्यक है। 1 एम.एल. कालूवाला के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत किये जानें हेतु अपनी सहमती प्रदान करते है। अतः 1 एम.एल. कालूवाला के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी दिशा में रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जानें के आदेश प्रदान करें।

दिनांक 19-10-16 को उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। विद्धान अधिवक्तागणों नें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये समर्पण के अनुसार तथा सहमती के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत किये जानें के कथन किये।

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामा तथा सहमती का अवलोकन किये जानें पर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 व चक 3 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 में जब से गांव बसा है, तब से रास्ता चलता है। जो मौके पर चल रहा है। को उक्त वर्णित सारणी में वर्णित रास्ता हेतु समर्पित रकबा को रास्ता हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि सारणी के कालम संख्या 9 में वर्णित भूमि का राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अमल दरामद करनें के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर